सत्रवाद संख्या–1947/2021

सरकार–––––बनाम–––––बहादुर चौहान।

<u>निस्तारण प्रार्थनापत्र 72 ख व 74 ख</u>

<u>दिनांक–13.05.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तण बहादुर चौहान, दिवाकर सिंह, कृष्ण कुमार गुप्ता व रामसमुझ मय विद्वान अधिवक्ता न्यायालय उपस्थित। अभियुक्त सतनाम सिंह जिला कारागार से उपस्थित आया। अभियुक्त जितेन्द्र सिंह की हाजिरी जरिये प्रार्थनापत्र मांफ की गयी। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, वादी के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी उपस्थित। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थनापत्र 72 ख व 74 ख पर सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियुक्त सतनाम की ओर से प्रार्थना पत्र 72 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभीयोजन साक्ष्य के अनुसार मृतक ब्रिजेश कुमार सिह को चोटईल हालात मे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर मे दिनांक–02.04.2021 की रात में भर्ती किया गया और 10–15 मिनट बाद दौरान ईलाज उनकी मृत्यु हो गयी। इस सम्बंध में पंचायतनामा कर्ता दरोगा जी पी0 डब्लू05 ने बयान दिया कि उसे मेडिकल कालेज की कोई लिखित सूचना पंचनामा लाश हेतु नहीं मिली, बल्कि मुकदमा दर्ज होने की जी०डी० रपट के कापी के आधार पर मृतक की लाश का पंचनामा किया गया, जिसमें वादी व मृतक भाई पी0 डब्लू01 व पी0 डब्लू02 पंचनामा गवाह नहीं है। जिससे प्रार्थी द्वारा उक्त मृतक के मेडिकल कालेज गोरखपुर के आकस्मिक कक्ष में लाने व उनकी उपचार से सम्बंधित कागजात वगैरह तलब करने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया गया था। जिसका मेडिकल कालेज से रिपोर्ट आयी कि उक्त मृतक मेडिकल कालेज में भर्ती नहीं था, परन्तु आकस्मिक चिकित्सा रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया कि जिससे यह मालूम हो सके कि मृतक को मेडिकल कालेज में मृत्यु अवस्था में कौन लाया था। न्यायहित में मेडिकल कालेज व रजिस्टर तलब होना आवश्यक है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा आपत्ति 73 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र अभियुक्त सतनाम सिहं दिनांकित 05.05.2025 में मेडिकल कालेज से मांगी गयी सूचना के संबंध में पूर्व में ही अवगत करयी जा चुकी है। पी0 डब्लू02 पत्रावली में साक्षी के रूप में परीक्षित किये गये आलोक सिंह के द्वारा अपने मुख्य बयान और अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा किये गये जिरह में यह स्पष्ट रूप से आया है कि मृतक बृजेश सिंह को चोटहित अवस्था में लेकर मैं मेडिकल कालेज चला आया था। मेडिकल कालेज से स्पष्ट आख्या आयी है कि दिनांक 02 व 03 अप्रैल की रात मृतक बृजेश सिंह से संबंधित किसी प्रकार की पर्ची इत्यादि मेडिकल कालेज के आकस्मिक चिकित्साकक्ष में नहीं है, तो पुनः सूचना बचाव पक्ष के द्वारा मांगा जाना पत्रावली को विलम्बित करने के लिये है। अतः प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.05.2025 निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त सतनाम सिंह दिनांक 02 व 03 की रात आकस्मिक चिकित्सक ड्यूटी पर तैनात एवं मृतक को अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति के संबंध में व मृतक की मृत्यु की सूचना थाने पर भेजने के संबंध में रजिस्टर व उपरोक्त गवाहों को तलब करना चाहता है। अभियुक्त की ओर से इसी संबंध में पूर्व में प्रार्थनापत्र दिया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा मृतक बृजेश से संबंधित आकस्मिक चिकित्सकीय संबंधी रजिस्टर व भर्ती होने वाली पर्ची तलब किया गया था, जिस पर प्रमुख चिकित्सकीय अधीक्षक नेहरू चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के द्वारा दिनांक 19.04.2025 आख्या दी गयी है कि चिकित्सालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार मृतक इस चिकित्सालय में भर्ती नहीं हुआ था।

यह पर यह तथ्य भी है कि पी0 डब्लू02 आलोक सिंह का अपनी जिरह दिनांक 01.04.2023 में कथन है कि जब उसके बड़े भाई बृजेश को उसके इलाज हेतु मेडिकल कालेज इमरजंसी कक्ष में ले जाया गया, तो उनके मृत घोषित होने के पूर्व वाद संबंधित कोई मेडिकल कालेज में पर्ची बनी थी या नहीं। मृतक बृजेश कुमार सिंह का इलाज करने एवं दौरान इलाज मृत घोषित करने वाले डाक्टर को तलब किये जाने का अभियुक्त का प्रार्थनापत्र 69 ग पूर्व में आंशिक रूप से निरस्त किया जा चुका है। अतः प्रार्थनापत्र 72 ख निरस्त किये जाने योग्य है।

अभियुक्त कृष्ण कुमार गुप्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 74 ख प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उसकी पत्रावली सफाई साक्ष्य हेतु नियत है। वह अपने साक्षीगण विशाल कुमार रौनियार व उमा को बतौर सफाई साक्ष्य तलब करने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से मौखिक आपत्ति की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 19.03.2025 को धारा– 313 सी०आर०पी०सी० के बयान अंकित किये जाने के पश्चात कई तिथि दिये जाने के बावजूद अभियुक्तगण की ओर से कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा दिनांक 11.04.2025 को पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी है। अभियुक्त के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि साक्षी विशाल कुमार रौनियार व उमा, जिन्हें वह साक्ष्य में पेश कराना चाहती है, वे घटना से किस प्रकार संबंधित हैं एवं किस तथ्य के साक्षी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की ओर से जानबूझकर मामले को लंबित रखने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि पत्रावली पर माननीय उच्च न्यायालय का शीघ्र निस्तारण का आदेश है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण के प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 72 ख व 74 ख निरस्त किये जाते हैं।

पत्रावली बहस हेतु 15.04.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
गोरखपुर।

Digitally signed by CHANDRA BHAN SINGH
Date: 2025.05.13 16:49:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court